

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 253

तारीख 17/6/22

मुकेश कुमार पुत्र सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजेश पुत्र देवीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कन्हैयालाल पुत्र लालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सुगनलाल पुत्र पेमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शंकरलाल पुत्र पेमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक:

प्रार्थना पत्र मुकेश कुमार पुत्र सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 315 पर अंकित आराजी संख्या 244/2 रकबा 0.4613 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 315 पर अंकित आराजी संख्या 244/2 रकबा 0.4613 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 253

तारीख 17/6/22

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 253 / 2022 पत्थरगढी बाबत।

मुकेश कुमार पुत्र सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

01. राजेश पुत्र देबीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. कन्हैयालाल पुत्र लालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सुगनलाल पुत्र पेमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शंकरलाल पुत्र पेमा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी विक्रमपुरा तहसील
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम विक्रमपुरा पटवार
हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 315 पर अंकित आराजी
संख्या 244/2 रकबा 0.4613 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके
पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया
जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख
निरीक्षकर उमाजी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/-तय की
जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सुचित
करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ